प्रसार भारती

आकाशवाणी शिमला

11.03.2025 / प्रादेशिक समाचार / 1800बजे

मुख्य समाचार''

- प्रदेश विधानसभा में 17 हजार 53 करोड़ 78 लाख रूपए का अनुपूरक बजट पारित–सरकार को ये धनराशि खर्च करने की मिली अनुमति।
- विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा शुरू– सत्तापक्ष और विपक्ष ने एक–दूसरे पर लगाए आरोप।
- मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा–प्रदेश में एक लाख 17 हजार 5 सौ से अधिक कर्मचारियों ने चुना ओ.पी.एस का विकल्प।
- शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा–राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के लिए ड्रैस कोड होगा लागू।

अनुपूरक बजट

प्रदेश विधानसभा में आज 17 हजार 53 करोड़ 78 लाख रुपए का अनुपूरक बजट पारित कर दिया गया। शिमला में चल रहे विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस संबंध में आज सदन में वित्त वर्ष 2024–25 के अनुपूरक बजट की पहली व अंतिम किस्त प्रस्तुत की। सदन ने इसे बिना चर्चा के ही पारित कर दिया। मुख्यमंत्री ने इस अनुपूरक बजट को लेकर हिमाचल प्रदेश विनियोग विधेयक भी सदन में पेश किया और उसे भी सदन ने पारित कर दिया। इसके पारित होने के बाद सरकार को 17 हजार 53 करोड़ 78 लाख रुपए से अधिक की राशि को खर्च करने की अनुमति मिल गई है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाद्दाता

———

वीओ–1:43''– मुख्यमंत्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू ने आज सदन में 17 हजार 53 करोड़ 78 लाख रुपए की अनुपूरक मांगें प्रस्तुत की। इनमें से 15 हजार 7 सौ 76 करोड़ 19 लाख राज्य स्कीमों और एक हजार 2 सौ 77 करोड़ 59 लाख रुपए केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए प्रावधित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य स्कीमों के तहत मुख्य रूप से 10 हजार एक सौ 37 करोड़ 7 लाख रुपए 'वेज एंड मींस' और 'ओवरड्राफ्ट' के लिए, एक हजार 33 करोड़ 63 लाख रुपए विद्युत उत्पादन, 8 सौ 14 करोड़ 94 लाख रुपए पथ परिवहन निगम को यात्रियों की विभिन्न श्रेणियों के किराए में दी जा रही छूट के एवज में उपदान, ई–बसों की खरीद, 7 सौ 63 करोड़ 26 लाख रुपए पेंशन व अन्य सेवानिवृत्त लाभ, 4 सौ 55 करोड़ 91 लाख रुपए का प्रावधान मेडिकल कॉलेजों के निर्माण व मशीनरी की खरीद और हिम केयर योजना के लिए किया गया हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय प्रायोजित

स्कीमों के तहत अधिकतर राशि चालू और नई विकास योजनाओं, जिनके लिए केंद्र सरकार से इस वर्ष के दौरान धनराशि प्राप्त हुई, के लिए प्रस्तावित है। इसमें 2 सौ 96 करोड़ 56 लाख रुपए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, 2 सौ 7 करोड़ 71 लाख रुपए एनडीआरआफ से प्राप्त आपदा प्रबंधन के लिए, 2 सौ 7 करोड़ 23 लाख रुपए रेणुकाजी बांध विस्थापितों को मुआवजे, 90 करोड़ 28 लाख रुपए प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण, 53 करोड़ 39 लाख रुपए मनरेगा, 51 करोड़ 74 लाख रुपए अम्रुत, 22 करोड़ 29 लाख रुपए स्वच्छ भारत मिशन और 18 करोड़ 88 लाख रुपए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए प्रस्तावित हैं। उन्होंने सदन से अनुपूरक अनुदान मांगों को पारित करने का आग्रह किया, जिसे सदन ने ध्वनिमत से पारित कर दिया। रितेश कपूर आकाशवाणी समाचार शिमला।

बजट चर्चा

प्रदेश विधानसभा में आज राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा शुरू हुई। सत्तापक्ष द्वारा इस संबंध में लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान हुई चर्चा के बीच सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच–बीच में एक–दूसरे पर तंज भी कसे। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने इस दौरान सरकार के दो वर्ष के कामों को गिनाया और राज्य की खराब वित्तीय स्थिति के लिए केंद्र को कटघरे में खड़ा किया। वहीं, विपक्षी भाजपा ने कांग्रेस सरकार को हर मोर्चे पर विफल करार दिया और कहा कि कांग्रेस सरकार ने जनता को दी गई 10 गारंटियों में से कोई भी पूरी नहीं की है। विपक्ष की ओर से चर्चा की शुरुआत करते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर जोरदार राजनीतिक हमले बोले। जयराम ठाकुर ने कहा कि अभिभाषण में सरकार की उपलब्धि के नाम पर कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि अभिभाषण में पुराने ही बिंदुओं का समावेश है, बस इसे लंबा किया गया है। जयराम ठाकुर कहा कि व्यवस्था परिवर्तन के दौर में प्रदेश बर्बादी के दौर से गुजर रहा है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि गारंटियों को पूरा करने के नाम पर सरकार गलत बयानी कर रही है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती का जिक्र अभिभाषण में है, इसे भाजपा सरकार ने शुरू किया था।

उन्होंने कहा कि सरकार ने दो साल से खाली पदों को समाप्त कर दिया, दो हजार संस्थान बंद किए और 60 साल से अधिक उम्र के सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारकों को 6 माह से पेंशन नहीं मिली है। इससे पहले, कांग्रेस विधायक भवानी सिंह पठानिया ने राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव सदन में पेश किया। इस दौरान भवानी सिंह पठानिया ने हिमाचल की खराब वित्तीय स्थिति के लिए पूर्व भाजपा सरकार को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि जीएसटी अनुदान बंद होने से हर साल 32 सौ करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है। इसके अलावा प्रदेश में आई आपदा से हुए 10 हजार करोड़ रुपए के नुकसान की भी भरपाई नहीं की है। विधायक विनोद सुल्तानपुरी, डॉ. हंस राज, किशोरी लाल, जीतराम कटवाल, नीरज नैय्यर, दीप राज, सुरेश कुमार और लोकेंद्र कुमार ने भी चर्चा में हिस्सा लिया।

प्रश्नकाल

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश में कुल एक लाख 86 हजार नियमित कर्मचारी कार्यरत हैं। इनमें से एक लाख 17 हजार 5 सौ 21 अधिकारियों और कर्मचारियों ने एनपीएस

से ओपीएस में आने का विकल्प दिया है और इस समय सभी विभागों में ओपीएस लागू है। शिमला में चल रहे विधानसभा के बजट सत्र में आज प्रश्नकाल के दौरान विधायक विक्रम सिंह के सवाल के लिखित जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में सभी निगमों, स्वतंत्र निकायों और इनके कर्मचारियों पर सरकारी नियम, दिशा निर्देश स्वतः लागू नहीं होते हैं। उन्होंने कहा कि ओपीएस के तहत सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों की कोई देनदारियां बकाया नहीं है और ओपीएस लागू करने के बाद से 12 हजार 8 सौ 6 कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं। विधायक भुवनेश्वर गौड़ के सवाल के लिखित जवाब में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में विभिन्न विभागों में 4 हजार 2 सौ 95 दंपत्ति अधिकारी और कर्मचारी एक ही स्थान पर कार्यरत हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इनको मिलने वाला मकान और चिकित्सा भत्ता नियमों के तहत प्रदान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा 31 अगस्त 2023 तक इन पर 8 करोड़ 27 लाख 87 हजार 74 रुपए की धनराशि खर्च की गई है।

विधायक केवल सिंह पठानिया के सवाल के लिखित जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में क्रिप्टोकरेंसी घोटाले में 20 फरवरी 2025 तक कुल 13 मामले दर्ज हुए और 80 आरोपी गिरफ्तार हुए है। इन मामलों में 37 करोड़ की चल अचल संपत्ति जब्त की गई है। विधायक रणधीर शर्मा के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि नाबार्ड के पास 9 सौ 4 करोड़ 78 लाख रुपए की डीपीआर लंबित है। उन्होंने कहा कि सरकार ने योजना विभाग के माध्यम से नाबार्ड को विधायक प्राथमिकता की योजनाओं को दोबारा से प्राथमिकता के आधार पर करने के लिए पत्र लिखा। विधायक केवल सिंह पठानिया के सवाल के लिखित जवाब में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले साल से इस साल 20 फरवरी तक मेडिकल कॉलेजों और स्वास्थ्य संस्थानों में विभाग द्वारा दवाईयों व अन्य स्वास्थ्य उपकरणों की खरीद पर कुल एक सौ 53 करोड़, 65 लाख 63 हजार रुपए खर्च किए हैं।

राहत

प्रदेश में पटवारी व कानूनगो की हड़ताल को देखते हुए राज्य सरकार ने नौकरियों के लिए आवेदन करने वाले युवा को अब अपने प्रमाण पत्र के लिए सैल्फ डैक्लेयरेशन करने की सुविधा प्रदान की है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज विधानसभा में ये घोषणा करते हुए कहा कि अन्य राज्यों की नौकरियों के लिए फार्म भरने वाले युवाओं को एस.डी.एम., तहसीलदार और नायब तहसीलदार प्रमाण पत्र जारी करेंगें। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।

ड्रैस कोड

प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अब शिक्षकों के लिए ड्रेस कोड लागू होगा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज शिमला में कहा कि शिक्षक छात्रों के लिए रोल मॉडल होते हैं, इसलिए उनका पहनावा

और व्यवहार बच्चों को प्रभावित करता है। उन्होंने कहा कि सरकार ने इसको लेकर सर्कुलर जारी किया और स्कूल प्रबंधन व एस.एम.सी. इस पर निर्णय ले सकती है।

सिकंदर कुमार

केन्द्रीय आवासन व शहरी कार्यमंत्री तोखन साहू ने बताया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत निर्माण क्षमता गतिविधियों के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए तृतीय पक्ष गुणवत्ता निगरानी आयोजित करने के लिए हिमाचल प्रदेश को पिछले वर्ष 34 हजार एक सौ 28 रूपए की केन्द्रीय सहायता जारी की गई है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार द्वारा राज्यसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने ये जानकारी दी। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में लाईट हाउस परियोजना के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है। एक अन्य सवाल के जवाब में केन्द्रीय अल्पसंख्यक कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश सहित सभी राज्यों व संघ राज्यों क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हिमाचल की स्वीकृत परियोजना के लिए पिछले वर्ष 24 दिसम्बर को सामान्य पूल निधि के रूप में 5 करोड़ रूपए की राशि जारी की गई है। केन्द्रीय मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत काजा में सी.एच.सी. परियोजना शामिल है।

मुख्य समाचार एक बार फिर''

- प्रदेश विधानसभा में 17 हजार 53 करोड़ 78 लाख रूपए का अनुपूरक बजट पारित–सरकार को ये धनराशि खर्च करने की मिली अनुमति।
- विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा शुरू– सत्तापक्ष और विपक्ष ने एक–दूसरे पर लगाए आरोप।
- मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा–प्रदेश में एक लाख 17 हजार 5 सौ से अधिक कर्मचारियों ने चुना ओ.पी.एस का विकल्प।
- शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा–राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के लिए ड्रैस कोड होगा लागू।